



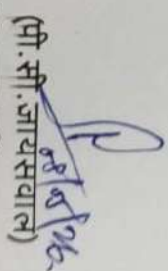
पूर्वाञ्चल रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY
मासिक राजपत्र
MONTHLY GAZETTE

{ सं० No. 04 }

अप्रैल / 2026
April / 2026

रेल कर्मचारियों के लिए संदेश ।

1. रेल परिवहन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड है । अपनी शक्ति के साथ इसकी रक्षा करें ।
2. संरक्षा सर्वप्रथम, अंत तक, और सर्वदा ।
3. स्वच्छता की प्रतिज्ञा आज ही करें ।
4. भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है ।


(पी.सी. जायसवाल)

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक

विषय-सूची

CONTENTS
मासिक राजपत्र संख्या-04
माह- April/2026

बिंदु सं० Item No.	विषय Subject	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	कर्मचारियों के लिये आवश्यक सूचना	01
2.	पास पी.टी.ओ., ई.एफ.टी. तथा यू.टी.एस. टिकट तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातों के खो जाने की सूचना।	02

यह गजट मास में एक बार प्रकाशित तथा जारी किया जाता है।
इसमें रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए
आवश्यक सूचनायें रहती हैं।

आवश्यक है कि अधिकारीगण अपने से सम्बन्धित सभी नोटिसों व अनुदेशों का पालन करें तथा सभी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से सम्बन्धित आदेशों से अवगत कराने की व्यवस्था करें। इस गजट की प्रतियां सभी रनिंग शेडों तथा परिचालन वर्ग के विश्रामालयों में लगा दी जायेगी। यह देखना तीसरे दर्जे के प्रवर कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है कि उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी इस गजट में दिये गये आदेशों से अवगत करा दिये जायें तथा शिक्षित कर्मचारियों के हस्ताक्षर उनके सम्बन्धित विषयों के सामने करा लिये जायें।

इस गजट में जो सूचनायें प्रकाशित कराई जानी हो, वे प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/गजट, गोरखपुर के पास अधिक से अधिक माह के दूसरी तथा सत्रहवीं तिथि तक पहुँच जानी चाहिए। सूचनायें दो प्रति में टाइप की हुई जानी चाहिए तथा उनका स्वरूप ठीक उसी प्रकार का होना चाहिए जिसमें उन्हें गजट में प्रकाशित करवाना हो। सूचनाओं पर महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष अथवा उप महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और नीचे उनके पद-संज्ञा दी जायेगी तथा उसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि सूचनायें उनके प्राधिकार से जारी की गई हैं। विभागाध्यक्षों के लिए उप-विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकते हैं।

This Gazette is published and issued monthly and contains information essential for the staff of all departments of the Railway.

Officers will act upon any notices and instruction concerning them and will arrange for all staff to be made acquainted with orders related to their duties. Copies of this Gazette will be posted up at all Running Sheds and Running Rooms. Senior Class III officials are responsible for seeing that staff under them are made acquainted with orders contained herein and that the signatures of literate staff are obtained against items which concern them.

Notices for insertion in this Gazette must reach the Principal Chief Commercial Manager (Gazette), Gorakhpur not later than the 2nd and 17th of the month. Notice must be typewritten, in duplicate and framed in the exact form in which it is required to appear in the Gazette. Notice will bear the signature of the General Manager, Head of Department or the Deputy General Manager with their Designation below, signifying that they have been issued with their authority. Deputies may sign for Heads of Department.

माह अप्रैल/2026 का पास, पीटीओ एवं ईएफटी, एच.एच.टी. तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजों का खो जाने की सूचना।
इसका जाली उपयोग न हो सके, इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी आवश्यक कार्यवाही करें।

पास/ट्रेवल अथोरिटी खो जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन

ईएफटी बुक/सीआरएम बुक एवं एचएचटी खो जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	स्टेशन	ईएफटी सं० एवं जारी करने की तिथि	ईएफटी खोने की तिथि	प्रयुक्त ईएफटी सं०	अप्रयुक्त ईएफटी की संख्या	संदर्भ
1.	Sri Vishnu Kumar Meena CCTS/MRT	MRT	415951 to 416000 28-09-2025	17-10-2025	415951 to 415981 Used	415982-416000 Unused	No. C/432/EFTLOSS/VISHNU KUMAR MEENA CCTS/MRT/2025 Dated 09-12-2025
2.	Sri Munna Ram Joshi CTI/KGM	KGM	548801 to 548850 20-10-2025	19-10-2025	548801-548807 Used	548808 to 548850 Unused.	No. C/432/EFT LOSS/M.R.JOSHI CTI/KGM (L)/2025 Dated 09-12-2025

पास/ट्रेवल अथोरिटी खो जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन

क्र. सं.	विवरण	सिल्वर/इयूटी कार्ड पास सं०	श्रेणी	जिनके लिए जारी किया गया था	जिन स्टेशनों के लिए उपलब्ध था	अवधि/खोने की तिथि	विभाग	संदर्भ
1.	1 st Class Travel Authority	001002	प्रथम	श्री पंकज कुमार सिंह, पूर्व मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी	All Indian Railways	02.04.2026	Administration.	सं०-ज/545/भाग-4/सिविल ओ दिनांक 09.04.2025